

तामिल  
जी.डी.  
नं.

पुस्तक नं 01/2022  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज  
श्रीमानल वनाग राजस्ट्रेट

नम्बर  
व ता0 अहकाम  
जो इस हुकम की  
तामिल में जारी हुए।

12/25

पत्रावली कान कोई प्रैम्प ठीकरिमा में  
प्रस्तुत हुआ। रकबा कनी-पुति के लिए  
मह वाद प्रस्तुत किया गया है धारा 136  
L.R act में केवल लिपिकीय अशुद्धियां  
सही की जा सकती हैं। डिप्टी सी प्रकर  
के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा  
सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय  
के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा  
माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के  
निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में भी  
यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि L.R act  
में डिप्टी सी प्रकर के अधिकारों का सृजन  
नहीं किया जा सकता है।

इसलिए दस्तावेज प्राचीन पत्र  
खोजिए कि जाता है और प्राचीन को  
सलाह दी जाती है कि वह निर्धारित वाद  
में आवे। मह पत्रावली निर्धारित वाद में  
इस पत्रावली को नटची करवा लेंगे।  
निर्णय कानूनकाम में पकड़ लुनाया गया  
पत्रावली नॉल सुनाल होकर नम्बर के कर है।

नडीलाल पुस्तक  
प्राची 88, 89,  
188, 183 RT  
क्ट में  
वाद दायर कर  
क्या स्पष्ट  
बतवा दि  
आशानी दिल  
की आशानी में  
हक रही है।  
नडीलाल पुस्तक

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी कान्ता  
जिला मय (राज.)